असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

15 दिसम्बर, 2022

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उस पर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री सुदामा प्रसाद, महबूब आलम एवं पांच सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद की सूचना पढ़ी गयी है । माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर, रोहतास सहित पूरे राज्य में उसना चावल मिलों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए जिलावार उसना चावल तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । पूर्व वर्ष में लगभग 33 प्रतिशत उसना चावल तैयार किया गया था जिसे लक्षित जन वितरण प्रणाली के लाभुकों की पसंद और मांग के आलोक में इस वर्ष बढ़ाकर 77 प्रतिशत किया गया है । पूर्व वर्ष की तरह इस वर्ष भी धान अधिप्राप्ति व्यवस्थित रूप से हो रही है । दिनांक- 13.12.2022 तक राज्य में 4,48,608 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है जबकि पिछले साल दिनांक- 13.12.2021 तक 3,79,986 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी । उसना चावल की मात्रा जिलों की सत्यापित मिलिंग क्षमता पर आधारित है । 17 प्रतिशत नमी मापदंड को लागू करना भी एक अनिवार्यता है । न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त भुगतान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । आवश्यकतानुसार अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि परिवर्तित करने पर राज्य सरकार विचार करेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद ।

श्री सुदामा प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आधार क्या है ? बिहार के 19 जिलों को सिर्फ और सिर्फ उसना चावल देने का पैक्सों को निर्देश देने का आधार क्या है, पहला प्रश्न मेरा यह है कि किस आधार पर 19 जिलों को सिर्फ उसना चावल देने का निर्देश दिया गया, दूसरा कि जिन समस्याओं का हमने जिक्र किया कि धान अधिप्राप्ति बिल्कुल बंद है इसलिए कि उसना मिलों की संख्या 160 है पूरे बिहार में और अरवा मिल 4500 हैं, तो क्या सरकार अपने इस फैसले को वापस लेगी ? उसना चावल देने की जो बाध्यता है पैक्सों को, उसको वापस लेगी ताकि किसानों से धान की खरीद हो सके ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, धान की अधिप्राप्ति के विषय में लगता है माननीय सदस्य ने अच्छे से सुना नहीं । इनका कहना है कि अधिप्राप्ति बाधित हो रही है जबकि हमने कहा कि दिनांक- 13.12.2022 तक 4,48,600 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति हो चुकी है । पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष हम लोग धान की अधिप्राप्ति ज्यादा कर पाये हैं । इसलिए धान अधिप्राप्ति में इस तरह की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है । जहां तक अरवा मिलों को टैग करने की बात है, तो लोगों की मांग पर बिहार में अधिकतर लोग 4 जिलों को छोड़कर अधिक संख्या में उसना चावल पसंद करते हैं और उनकी डिमांड पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि पिछले वर्ष हम लोग 33 प्रतिशत कर पाये थे और इस वर्ष हम लोग मिलों से उसना चावल 77 प्रतिशत कर पायेंगे । तो अभी उसना चावल के जितने मिल हैं, उन्हें 77 प्रतिशत का लक्ष्य दिया गया है । इसके बाद जितने शेष बच रहे हैं उनसे अरवा चावल लिया जायेगा तभी तो उतनी क्षमता के मिल हैं उसना चावल के और जहां तक बात है अधिप्राप्ति की, तो उसमें कोई अड़चन नहीं है, सभी जगह अधिप्राप्ति हो रही है । जिलेवार हमारे पास आंकड़ा है, यदि माननीय सदस्य कहेंगे तो हम भिजवा देंगे ।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, जो मेरा मूल प्रश्न है कि उसका आधार क्या है ? अब जैसे हमारे शाहबाद के चारों जिलों में लोग अरवा चावल खाते हैं । भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कैमूर वहां चारों जिलों को उसना मिल में डाल दिया गया है और हमारे जिले में तो मात्र 7 उसना चावल मिल हैं, 7 अरवा चावल के मिल हैं । तो मुझे लगता है कि इस मूल प्रश्न का जवाब सरकार को देना चाहिए । इसका आधार क्या है ? आधार हम लोग जानना चाहते हैं । हमारे यहां तो चारों जिलों में लोग अरवा खाते हैं, तो उसना क्यों किया गया ?

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि चार जिलों में सबसे अधिक धान की खेती होती है । इसलिए वहां से दूसरे जिले में भी चावल तैयार करके भेजा जाता है । उतनी तो वहां खपत होती नहीं है । इसलिए वहां भी उसना चावल तैयार किया जाता है ताकि दूसरे जिलों में भेजा जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार के द्वारा आपके प्रश्न का बहुत ही स्पष्ट जवाब दिया गया है । ये पूर्व के निर्णय हैं, उसके मुताबिक ही उसना चावल की मांग ज्यादा है । इसलिए पूर्व में उच्चस्तर से इस तरह का निर्णय लिया गया । मंत्री जी का कहना है कि उसना के बाद भी जो अरवा चावल की आवश्यकता होगी उसको भी सरकार अपने स्तर से अरवा चावल के जो मिल होंगे उनमें भी खरीददारी करके चालू कराने का काम करेगी, परंतु जो 70 प्रतिशत पूर्व के निर्णय हैं, उन निर्णयों का सही तरीके से कार्यान्वयन हो रहा है और जो 38 जिले हैं उसमें मात्र चार में ही ज्यादा धान की उपज भी होती है और हो सकता है कि वहां लोग अरवा चावल चाहते होंगे, लेकिन अन्य जिलों में जो वहां से धान खरीदकर दूसरी जगह जाता होगा और उसना चावल की मांग है, तो मांग के आधार पर ही ये मिल स्थापित हुए हैं, तो आगे की भी कार्रवाई, जो शेष बचे रहेंगे उसकी दिशा में करने के लिए माननीय मंत्री महोदया ने अपने जवाब से आपको संतुष्ट किया है ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा, अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री विजय मंडल : अध्यक्ष महोदय,....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य विजय मंडल जी, प्रश्न भी दो-दो उन्होंने किये, दोनों के जवाब माननीय मंत्री जी के द्वारा माकूल दिये गये और मैंने भी आपकी और सदन की भावना को समझते हुए अपनी जो सोच, समझदारी थी उसको भी आसन से व्यक्त किया है और मैंने अब ध्यानाकर्षण पढ़ने के लिए शालिनी मिश्रा जी को पुकार दिया है । इसलिए अब आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

माननीय सदस्या श्रीमती शालिनी मिश्रा ।

टर्न-10/धिरेन्द्र/15.12.2022

श्रीमती शालिनी मिश्रा, श्रीमती प्रतिमा कुमारी एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से

वक्तव्य ।